

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र / Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
सतर्कता अनुभाग / Vigilance Section

सन्दर्भ : 8 / 1 / 2020 / सत / 3737

जनवरी 30, 2024

परिपत्र / Circular

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (अं.स्वा.से.यो.) के सम्बन्ध में वर्ष 2024 हेतु घोषणा सम्बन्धी।
Subject: Declaration for the year 2024 in respect of CHSS facility of Retired employees reg.

परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7 / 55 / 94 / अं.स्वा.से.यो. / आईआरएण्डडब्ल्यू / 37 दिनांक 22 जनवरी 1998 के अनुच्छेद 4.2.1 तथा 4.2.2 के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के सदस्य प्रत्येक कर्मचारी / सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों की अं.स्वा.से.यो. की सुविधा को लगातार जारी रखने के उद्देश्य से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरम्भ में निर्धारित प्रपत्र में आय एवं निवास सम्बन्धी एक घोषणा भरकर सहायक कार्मिक अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, आरआरकेट को देना होगी।

In accordance with Para 4.2.1 and 4.2.2 of the DAE OM. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22.10.1998 on the above subject, every official/retired official who is a member of DAE CHS Scheme has to make a declaration in the prescribed form and furnish the same to Assistant Personnel Officer (Vigilance), RRCAT at the beginning of every calendar year for the purpose of continuation of CHSS facilities for members of family.


2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को घोषणा-पत्र के साथ अपने आश्रित माता-पिता अथवा सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में) के नवीनतम मूल्यांकन वर्ष की आयकर विवरणी तथा अपने 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की विद्यार्थी पहचान पत्र की प्रति को सहायक कार्मिक अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, आरआरकेट को अपने अं.स्वा.से.यो. कार्ड के पुनर्वैधीकरण हेतु देना होगा।

Retired employees are required to fill in the Declaration Form along with **Income Tax Return Acknowledgement for the latest assessment year** of their dependent parents or parents-in-laws (in case of female employees) and copy of Student ID card of their children above 18 years of age and submit the same to Assistant Personnel Officer (Vigilance), RRCAT for revalidation of CHSS cards,

2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड के पुनर्वैधीकरण से संबंधित कार्य आरआरकेट चिकित्सा केंद्र में दिनांक 31.01.2024 को निम्नलिखित सारिणी के अनुसार किया जाएगा :-

THE WORK RELATING TO REVALIDATION OF CHSS CARDS OF RETIRED EMPLOYEES WILL BE DONE IN THE RRCAT MEDICAL CENTRE ON 31-01-2024 AS PER THE FOLLOWING SCHEDULE :-

| विवरण / Details | दिनांक / Date | समय / Timing |
|-----------------|------------------------|---|
| All retirees | 31-01-2024 (Wednesday) | पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक |


(परिवेश जीनवाल / Parivesh Jinwal)
प्रशासनिक अधिकारी- III / Administrative Officer-III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र / RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

इन्दौर-452 013 / INDORE-452 013

अंशदायी स्वा. सेवा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के संबंध में घोषणा / Declaration in respect of CHS Beneficiaries

वर्ष / Year _____

| (REVALIDATION TIMINGS) | | | HRS TO / | | HRS) | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| कर्मचारी का नाम Name of Employee | | | पदनाम Designation | स.सं.स. CC No. | आवासीय पता Residential Address | |
| प्रभाग Section | वेतन पे बैंड Pay in Pay band | ग्रेड वेतन Grade Pay | अ.स्वा.सं.यो.क्रमांक CHSS No. | राशन कार्ड क्र. Ration Card No. | राशन कार्ड में उल्लिखित आवासीय पता Residential Address as stated in Ration Card | सूचना क्र. Phone No. |

क. पति/पत्नी का विवरण

A. Particulars of Spouse

| नाम Name | जन्म दिनांक Date of Birth | रोजगार स्थल Place of employment | कर्मचारी तथा उसके परिवार को प्रदत्त चिकित्सा लाभों का प्रकार तथा इन लाभों के मिलने की आरंभिक तिथि Type of medical benefits provided for the employee and family & from which date |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | |

ख. (अ) माता/पिता का विवरण

B. (a) Particulars of Parents

| नाम Name | जन्म दिनांक Date of Birth | व्यवसाय Occupation | मासिक आय Monthly Income |
|-------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | |

ख. (ब) सास/ससुर का विवरण

B. (b) Particulars of Parents-In-Law

| नाम Name | जन्म दिनांक Date of Birth | व्यवसाय Occupation | मासिक आय Monthly Income |
|-------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | |

ग. 18 वर्ष तक या इससे अधिक उम्र के पुत्र/पुत्रियों का विवरण
C. Particulars of Sons/Daughters of 18 years of Age and above

| नाम Name | जन्म दिनांक Date of Birth | व्यवसाय Occupation | मासिक आय Monthly Income |
|-------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | |

घ. आश्रितों का विवरण

D. Particulars of Dependents

| नाम Name | जन्म दिनांक Date of Birth | संबंध Relationship | व्यवसाय Occupation | मासिक आय Monthly Income |
|-------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि

I Certify that

- (क) मेरे माता-पिता मेरे साथ रहते हैं तथा उनका नाम मेरे राशन कार्ड में शामिल है। वे मुख्यतः मुझ पर आश्रित हैं।
a. My parents reside with me and are included in my Ration card. They are mainly dependent on me.
- (ख) मेरे सास-ससुर मेरे साथ रहते हैं तथा उनका नाम मेरे राशन कार्ड में शामिल है। वे मुख्यतः मुझ पर आश्रित हैं।
b. My parents-In-Law reside with me and are included in my Ration card. They are wholly dependent on me.
- (ग) उपरोक्त वर्णित मेरे पुत्र/पुत्रियों पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं तथा वे अर्धोपार्जन नहीं करते हैं।
c. My Son/Daughter mentioned above are wholly dependent on me and they are not gainfully employed.

(घ) उपरोक्त वर्णित मेरे आश्रित पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं। उनके नामों के पंजीकरण हेतु अं. स्वा. से. समिति को दी गई सूचना पूर्ववत है। उनके नाम भी मेरे राशन कार्ड में शामिल हैं। वे मेरे साथ रहते हैं।

d. My dependent mentioned above is entirely dependent on me; the information given for registration of his/her name remains the same; his/her name is also included in my Ration card. He/She resides with me.

(ङ) अं. स्वा. से. के अंतर्गत पंजीकृत मेरी पत्नी/मेरे पति/माता-पिता/18 वर्ष तक तथा इससे अधिक उम्र के पुत्र/पुत्रियाँ किसी प्रकार की आर्थिक उपदान/भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं तथा प. ऊ. वि./अ. स्वा. से. के अलावा किसी अन्य स्रोत से चिकित्सा सहायता/लाभ/नकद राशि के लिए पात्र नहीं हैं।

e. My Wife/husband/parents/sons/daughters of 18 years of age and above and dependent registered under CHSS do not receive any cash subsidy/allowance, reimbursement of medical expenses and are not eligible for medical aid/benefit/cash coverage from sources other than the DAE/CHSS.

(च) प. ऊ. वि द्वारा जारी दिनांक 22 जनवरी 1998 के प. ऊ. वि. 7/55/94/अस्वासेवा/अं.स्वा.से. के संबंधित खण्डों को मैंने पढ़ तथा समझ लिया है। यदि अ.स्वा. से. में मेरे द्वारा पंजीकृत कोई लाभकर्ता अ. स्वा. से. के लिए पात्र नहीं रहता है तो मैं अ. स्वा. से. को इसकी सूचना तत्काल देगा/देगी।

f. I have read and understood relevant clauses of 7/55/94/CHSS/IR&W/37, dated January 22, 1998 issued by DAE and shall notify CHSS promptly if any beneficiary registered by me in CHSS becomes ineligible for CHSS.

कर्मचारी के हस्ताक्षर/Signature of the employee _____

कार्यस्थल/अनुभाग/Place of work/Section _____

दिनांक/Date _____

मार्गदर्शक बातें/Notes for Guidance

(1) अधूरे फार्म लौटा दिए जाएँगे।

(i) Incomplete Forms will be returned.

(2) पति / पत्नी : पति/पत्नी के नियोजन द्वारा प्रदत्त उपचार संबंधी विवरण इस हेतु दिए गए स्थान पर प्रस्तुत करें।

(iii) Spouse : Details of treatment provided by the employer of the Spouse may be furnished in clear terms. Even if the spouse is not employee NIL statement in the space provided.

(3) माता-पिता (महिला कर्मचारी के मामले में सास-ससुर) : अ. स्वा. से. के अंतर्गत पंजीकरण हेतु परिवार के सदस्य के रूप में सीतेले माता-पिता पात्र नहीं हैं। माता-पिता में से केवल एक ही अ. स्वा. से. के अंतर्गत पंजीकृत होने के बावजूद, अनुभाग-बी के अंतर्गत दोनों का विवरण प्रस्तुत करें। यदि माता-पिता की कुल आय सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा मंहगाई भत्ता (जहाँ लागू होता है) से अधिक नहीं है तथा माता-पिता दोनों की अधिकतम आय रु. 9000/- प्रति माह से अधिक नहीं है तो ऐसे माता-पिता संबंधित कर्मचारी पर मुख्यतः आश्रित माने जाएँगे। कर्मचारी के माता-पिता को अ. स्वा. से. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के साथ रहना होगा तथा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तक इस तथ्य को स्थापित करना होगा। राशन कार्ड विवरण का सत्यापन अं. स्वा. से. कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(iii) Parents (Parents-in Law - In case female employees) - Step-Parents are not eligible to be registered in CHS as member of family. The particulars of both the parents should be given under section-B even if only one of them is registered under the CHSS. One natural and another adoptive parents can not be registered at the same time the CHSS. If the total income of the parents does not exceed the pay plus-dearness pay (where applicable) of the Government servant, subject to the maximum income of parents (both father and mother) being Rs. 9000/- per month such parents may be treated as mainly dependent on the Government servant concerned. Parents of the employees should for purpose of admission to CHSS reside with the employee and it is upto the employee to establish this fact to the satisfaction of competent authority. Verification of Ration Card particular will be done by CHSS Office. / Vigilance Section

(4) संतान : लाभकारी अर्थात्पार्जन करने वाले 18 वर्ष तक तथा इससे अधिक उम्र के पुत्र-पुत्रियाँ अ. स्वा. से. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। यदि सरकारी कर्मचारी पर आश्रित पुत्री शादीशुदा, तलाकशुदा (या कानूनी रूप से अलग) हैं तो वे अ. स्वा. से. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी। जिन कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियाँ लाभकारी अर्थात्पार्जन कर रहे हैं तथा यदि अ. स्वा. से. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए उन्हें पंजीकृत किया गया है तो वे उनके अ. स्वा. से. कार्ड सहायक कार्मिक अधिकारी (सतर्कता) को तत्काल लौटा दें तथा अ. स्वा. से. लाभार्थियों की सूची में से नाम कटवा दें।

(iv) Children : Gainfully employed sons/daughters of 18 years of age and above are not eligible for CHSS benefits. Married, widowed, divorced (or legally separated) daughters of government servants even though dependent-on the employee are not eligible for CHSS benefits. In case of a adopted Children, only legally adopted sons/daughters will be eligible for the benefits of the CHSS. Employees should promptly return CHSS cards to APO (Vigilance) of sons/daughters who are gainfully employed and seek their deletion from the list of CHSS beneficiaries, if they are already registered for the benefits of CHSS.

(5) आश्रित : अ. स्वा. से. लाभों के लिए जिन कर्मचारीयों ने अपने आश्रितों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तथा जिनके नाम अ. स्वा. से. समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद ही पंजीकृत होंगे, वे भी फार्म के संबंधित अंश भरे।

(vi) Dependents : Employees who have offered for registration of their dependants for CHSS benefits should also complete the relevant portion of the form though their name were registered after procedure before the CHSS.